न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2011

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नागराज पुत्र समाजी जाति घांची निवासी घांचियों का बास, नहर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1 मृतक चैनाराम के का0मु0 1.1 श्रीमति सुमरी बाई पत्नी चैनाराम 1.2 हंजा पुत्री चैनाराम 1.3 मोहनलाल पुत्र चैनाराम 1.4 शिवलाल पुत्र चैनाराम 1.5 छगनलाल पुत्र चैनाराम 1.6 लच्छाराम पुत्र चैनाराम 1.7 नरसिंगलाल पुत्र चैनाराम 2 मंशाराम पुत्र तेजाजी 3 मगाराम पुत्र मूलाजी 4 मोतीलाल पुत्र मूलाजी (Symbolic Party) 5 दिनेश कुमार पुत्र मूलाजी 6 रतनलाल पुत्र मूलाजी 7 चम्पाबाई पत्नी मूलाजी 8 विमला पुत्री मूलाजी 9 बस्तीराम पुत्र समाजी 10 कान्तिलाल पुत्र समाजी 11 प्रभूलाल पुत्र समाजी 12 अन्तरी पुत्री समाजी जातिगण घांची निवासीगण घांचियों का बास, नहर के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांकः— 14/2/19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2007 चेना वगैरा बनाम नागराज वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से नजरी नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अलग अलग रंगों से पक्षकारान् को हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना बताया, उक्त नजरी नक्शा मात्र कल्पना के आधार पर तैयार किया गया, जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा जो मुख्य उज्र उठाया गया, वह यह था कि खसरा नम्बर 267 में कुआं खोदा गया है, जिसमें आवागमन हेतु खसरा नम्बर 271/1 का उपयोग किया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बर 271/1 की भूमि में आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं की जावे। इस प्रकार नया रास्ता कायम कराने का अनुतोष चाहा गया, जबकि धारा 53, 88 में नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रास्ते की मांग को सुनने का राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार भी नहीं हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के अधिकार के आधार पर अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसके विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट जैर अपील विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की कृषि संक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते थे, इस कारण उनको पाबन्द कराने हेतु धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जैर अपील विवादित आराजी का पूर्व में विभाजन हो चुका था, जिसके अनुसार समस्त खातेदार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त थे, जिसकी नजरी नक्शा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वाद के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रूप में नया रास्ता नहीं चाहा गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जबकि सह खातेदारी भूमि के विधिक विभाजन होने तक प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होना आज्ञापक होने के कारण सह खातेदार को भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम नहीं करने हेतु अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि हैं, जिसके विभाजन हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होना जाहिर किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 273, 274 बेरा व सडा में प्रार्थीगण के बंट तक एवं खसरा नम्बर 271/1 रास्ते के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा नहीं करें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त भूमि अविभाजित रूप से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 271 के बट्टा नम्बर का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं है, जिसे अपील में रास्ता होना बताया गया हैं। उकत भूमि को सह खातेदारी होने से किसी भी पक्षकार द्वारा नकारा नहीं है। विधि अनुसार भी सह खातेदारी भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा काश्त माना गया है। हालांकि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह खातेदार दूसरे सह खातेदार को उसकी कृषि संक्रियाओं के उपयोग उपभोग से महरूम करे। यदि ऐसा किया जाता है, तो निश्चय ही व्यथित सह खातेदार के हित प्रभावित होंगे तथा विवाद बढेगा, जिसे रोका जाना न्यायालय का प्रथम दायित्व हैं। इस सम्बन्ध में RRD 1998 Pg. No. 440 में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53, 88 & 212 – ..... Injunction can be granted against a co-tenant if he denies the right of another co-tenant – Petitioner has not denied allowing him to cultivate 1/4 of the total land on cash security fixed by court – Order of R.A.A., Justified. इसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 को सह खातेदारी भूमि में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

64/2007 चेना वगैरा बनाम नागराज वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली